पेश कर बाद जवाब प्रार्थना पत्र बहस हेतु रखा गया जिस पर वादी/कैवियटकर्ता वकील की बहस सुनी गई बहस के दौरान तथ्यों के साक्ष्य हेतु कैवियटकर्ता अधिवक्ता ने समय चाहा। वादी अधि० को अन्य पक्षकारों के नोटिस [illegible] हेतु निर्देश/आदेश दिए गये पत्रावली दिनांक 26/8/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

26/8/2020 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादी कैवियटकर्ता वकील द्वारा बहस दौरान बताए गये नियम व नजीरें निर्णय की फोटो प्रतियां पेश की जिस पर बहस पुनः शामिल मिसल किया गया पत्रावली वास्ते आदेश 7/11 प्रा० पत्र हेतु दिनांक 31/8/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Reg. No. नोटिस जारी
2431-2434
27/8/2020

पत्रावली आज दिनांक 31-8-20 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा [illegible] की वजह से पत्रावली पुनः [illegible] 1-9-20 को पेश हो।

2.9.2020 ~~दिनांक 01/09/2020 का अवकाश घोषित होने से~~ पत्रावली प्रस्तुत। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 25.8.2020 को प्रतिवादी सं० 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 0-7-R-11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया था। जिसकी नकल

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.09.18 14:45:13 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

.... बनाम .... वगै0

संख्या :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	अधि० वादी को दिलवाई गई। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्ष अभिभाषक सुने गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के तर्कों का मनन किया गया। मूलवाद में विवादित आराजी ख.नं. 211 रकबा 1.6100 हैक्टेयर वाके ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदारान के मध्य विवादित आराजी का वाद प्रस्तुति की तिथि तक कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ था। इस प्रकार वादिया सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदारान के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वादपत्र के माध्यम से याचित किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदारान के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र, बिना विभाजन की प्रार्थना के प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं है। यह सिद्धांत माननीय राजस्व मंडल [illegible] द्वारा प्रतिपादित [illegible] RRD 1990 Pg.No 154, RRD 1991 Pg.No [illegible]	

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.09.18 14:45:13 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

.... बनाम .... वगै0

केस संख्या :

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
		इस प्रकार वादी द्वारा अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय के मत में विधि संधारणीय नहीं है एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विधिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधिविरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर रि. दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 2/9/2020 को खुले न्यायालय में सुनाकर हस्ताक्षरित किया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.09.18 14:45:13 IST
Reason: SelfAttested